कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा–राजस्थान

क्रमांक स्था0/24/01 दिनांक 02.01.2024

कार्यालय आदेश

मैं डॉ. अंजुम खान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा एतद्द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए आदेश देती हूँ कि **माह जनवरी, 2024** में राजकीय अवकाश दिवसो पर रिमाण्ड व अन्य आवश्यक कार्य निम्नलिखित सूची अनुसार न्यायिक अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जायेगे। इसके अतिरिक्त रिमाण्ड अधिकारी द्वारा विधि अनुसार [illegible] लेखबद्ध करने एवं कस्टोडियल डेथ की मजिस्ट्रेट जाँच के कार्य भी सम्पादित किये जायेंगे।

माह जनवरी, 2024

क्र.सं.	दिनांक एवं अवकाश		रिमाण्ड अधिकारी	सम्पर्क नंबर
1	07.01.2024	रविवार	श्री नवीन मीणा, जे.एम. बागीदौरा	श्री पवन रीडर 8209968582
2	13.01.2024 14.01.2024	द्वितीय शनिवार रविवार	श्री पूरन सिंह, ए.सी.जे.एम. घाटोल बांसवाड़ा	श्री राजेन्द्र रीडर 94146 45887
3	21.01.2024	रविवार	सुश्री भारती उपाध्याय, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय तलवाड़ा	श्री विश्वेश्वर रीडर 9602715624
4	26.01.2024 27.01.2024 28.01.2024	गणतंत्र दिवस चतुर्थ शनिवार रविवार	सुश्री रीतिका श्रोती ए.जे.एम. बांसवाड़ा	श्री संदीप रीडर 94134 54702

नोट–:–

1. रिमाण्ड **ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी** एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा किन्ही परिस्थितियो में **आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर** उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।

2. उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का **स्थानान्तरण** हो जाता है **अथवा** पीठासीन अपरिहार्य राजकार्य से यथा ट्रेनिंग आदि में मुख्यालय से बाहर जाने पर **अथवा** किसी कार्य दिवस पर तात्कालिक रूप से **अवकाश घोषित** कर दिए जाने की अवस्था में उस दिवस से पूर्ववत अवकाश दिवस पर रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करने वाले अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।

3. प्रत्येक उक्त न्यायिक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त तिथियों पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे। किसी विशेष परिस्थिति में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बांसवाडा से पूर्व अनुमति लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में इस कार्यालय को सुझाव देते हुए ही मुख्यालय छोड सकेंगे।

sd/-
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : स्था0/24/09 से 21 दिनांक 02.01.2024

प्रतिलिपि :–

1– माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बाँसवाड़ा को सूचनार्थ ।

2– श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बाँसवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि बाँसवाड़ा जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों, पुलिस थानों को इस आदेश से सूचित करावें ।

प्रतिलिपि अधोलिखित को जरिए इंटरनेट माध्यम प्रेषित है:–

1– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा/घाटोल/कुशलगढ/बागीदौरा

2– न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम वर्ग बाँसवाड़ा/गढ़ी/बागीदौरा/आनन्दपुरी

3– अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम वर्ग बाँसवाड़ा

4– न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय गढ़ी/तलवाड़ा

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,